न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस
अपील संख्या 145/2024 एल आर एक्ट (GCMS No 2024/ 157)
अनवान सुल्तानसिह वगैरह बनाम सुशील, वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) अपील सं. 32/2016 दिनांक 28.09.2016

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
14.01.2026	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं. 2, 3, 4 के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 22.07.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अबेट होने पर खारिज करने का निवेदन किया तथा दिनांक 03.11.2025 को प्राथमिक कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सेक्शन 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर अपील को इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण सिहाग ने दिनांक 03.11.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की प्राथमिक कानूनी आपत्ति खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट के संख्या 2, 3, 4 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 5 वादो का देहान्त चार वर्ष पूर्व हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 समा, रेस्पोडेन्ट सं. 7 रेस्पोडेन्ट सं. 14 सभी फौत हो चुके है तथा आज तक अपीलान्ट द्वारा मृतको के जायज वारिसान को रिकॉर्ड पर नही लिया गया है। उक्त सभी रेस्पोडेन्ट चार वर्ष पूर्व मर चुके है। अपील अबेट हो चुकी है। अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी है। अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। उन्होने आगे बहस के दौरान कथन किया कि उक्त अपील में मृतक रेस्पोडेन्ट्स जिनका विवरण व आदेश अदालत द्वारा गत पेशियो पर दिया जा चुका है, मियाद 90 दिन समाप्त हो चुकी है। न्यायालय का आदेश होने के बावजूद अधिवक्ता अपीलान्ट्स के द्वारा नोटेड होने के बावजूद मृतक रेस्पोडेन्ट के जायज वारिसानो की सूची आज तक प्रस्तुत नही की है। मृतक के खिलाफ अपील चल नही सकती है। अतः उक्त अपील स्पष्टतया अबैट हो चुकी है। मियाद समाप्त हो चुकी है। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1995 पृष्ठ 82, RRD 2002 पृष्ठ 711, RRD 2007 पृष्ठ 78, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट 2, 3, 4 के अभिभाषक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7, 14 का फौत होना बताया गया है जो बिना किसी प्रमाण के कहा गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 5 को करीब फौत हुए 4 साल बताया गया है व रेस्पोडेन्ट सं. 6 समा का फौत होने का समय नही बताया गया है। इसके अतिरिक्त ज्ञात करने पर अपीलान्ट द्वारा फकीराराम के बादो व समा नामक पुत्रियो होना नही बताया गया इस आधार पर फकीराराम के पुत्र वारिसो द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त कलेक्टर केम्प नोहर में अपील में गलत पक्षकार बनाकर निर्णय करवाया गया है। अपीलान्ट द्वारा जानकारी के आधार पर पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 7 रामचन्द्र के लिछमा, कमला पुत्रियो व जिल्लेसिह , त्रिलोकचंद, कालूराम, रामसिह पुत्रगण है, रेस्पोडेन्ट सं. 14 सुभाष का करीब 15 साल हो गये कोई अता पता नही है, कानूनन 7 साल निरन्तर किसी व्यक्ति के बारे में जिवित व मृत की जानकारी नही होने की स्थिति मे मृत माना जाता है जिसके वारिसो को पक्षकार न्यायालय के द्वारा आवश्यक पक्षकार मानते हुए आदेश दिया जाने पर पक्षकार बनाया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट का दायित्व है कि रेस्पोडेन्ट मृत होने की स्थिति में न्यायालय को सूचित करे वेसे भी रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 की तरफ से अधिवक्ता हाजिर है व रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6 रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 की बहिने होने पर भी सही जानकारी नही देना सदभाविक प्रार्थना पत्र नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है व उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारण के बाद पक्षकार बनाने व संशाधित किया जाने का प्रावधान होने के कारण प्रक्रिया आदेश के बाद प्रभावी होगा । प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। .....लगातार..... अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	69-70 06.02.26

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में (Citation: 2014 (3) DNJ (RAJ.) 880), (Citation: 2015 (1) DNJ (RAJ.) 146), (Citation: 2014 (1) RLW (HC) 803), (Citation: 2016 (3) CJ (CIV.) (RAJ.) 1450), (2014 (2) WULN 320, ए आई आर (इलाहाबाद) 1968, (2003 DNJ 155), 2024 (2) RRT 785), 2024 (1) RRT 539 HC, 2024 (1) RRT 82, 2015 (3) APex COURT JUDGMENT 241 (SC.), RBJ 2005 235 S.c., (Citation: 2014 (3) DNJ (RAJ.) 1016), (Citation: 2009 (2) DNJ (RAJ.) 623), का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया एवं अभिभाषकगणो द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 28.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंट नं. 5, 6, 7, 14 अपील मे पक्षकार है जिनकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व होने का कथन रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 के अभिभाषक ने किया है। अभिभाषक अपीलांट यह कथन करता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 के अभिभाषक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7, 14 का फौत होना बताया गया है जो बिना किसी प्रमाण के कहा गया है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने इस तथ्य का खण्डन भी नही किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7, 14 का फौत नही हुआ है। अपील लम्बे समय से विचाराधीन है जिसमे कई बार अभिभाषक अपीलांट को मृत रेस्पोडेन्ट के वारिसानो की सूची पेश करने हेतु समय दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने उक्त समय में ना तो वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की ना ही इनके वारिसानो की सूची पेश की, अपितु तर्क करते है कि रेस्पोडेन्ट का दायित्व है कि मृत रेस्पोडेन्ट होने की सूचना न्यायालय को सूचित करे । इसके साथ अभिभाषक अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 14 के वारिसो को पक्षकार बनाने का कथन किया है जबकि उन्होने ने दिनांक 11.06.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लापता होने पर उसका नाम अपील से डीलीट करने का निवेदन किया गया, जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 14 सुभाष का नाम अपील से डीलीट करने के आदेश दिये जा चुके है। अभिभाषक अपीलान्ट को इतना समय दिये जाने के बाद भी उक्त मृत रेस्पोडेन्ट के वारिसानो की सूची प्रस्तुत नही की है।अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 के अभिभाषक की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर